


राजेश कुमार बनाम मूलचन्द वगै०
मु०नं० 29/2020
दावा अ०धा० 53, 88

दिनांक - 13.10.2020 वकील वादीगण उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि ख.नं. 200, 206 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.93 है० वार्के ग्राम अंडुका का तहसीलदार सूरजगढ़ के पत्रांक भू.अ./2016/1677 दिनांक 18.08.2020 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाव्ता दाखिल दफ्तर हो।


उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़
(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

